

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : - देवीलाल यादव (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या : - 154/2023

उनवान

जानकी देवी पत्नी लालचन्द, जाति सिंधी नि० नसीराबाद

— प्रार्थी :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सुरजकरण पुत्र सुखदेव,
2. रामराज पुत्र बालू,
3. काना पुत्र हरनाथ,
4. शिवराज पुत्र हरनाथ,
5. गोपाल पुत्र लाला,
6. जसराज पुत्र लाला,
7. मंगला पुत्र बालू समस्त जाति जाट नि० धोलाभाटा, लोहरवाडा, नसीराबाद,
8. करण पुत्र अमरलाल,
9. कृष्णा पुत्री अमरलाल,
10. प्रभुलाल पुत्र रामनाथ,
11. रामलाल पुत्र रामनाथ
12. रामेश्वरी पत्नी अमरलाल,
13. श्यामी पत्नी रामनाथ, समस्त जाति जाट नि० लोहरवाडा नसीराबाद
14. मीना पत्नी अशोक जाति सिंधी नि० नसीराबाद
15. राज० सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

— अप्रार्थीगण :- 1 से 14 अनुपस्थित
15 जरियें राज० पैरोकारप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू० राज० अधि० 1956

-: आदेश :-

दिनांक :- 6/5/24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 4866 रकबा 0.08 व 6522/4868 रकबा 0.07 की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2071-74 के अनुसार आवेदनकर्तागण की खातेदारी है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को उपजाउ बनाकर खेती के कार्य में ली जा रही है। उक्त आराजी के समीप अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है। आराजी मुतनाजा के सीमाज्ञान पर अप्रार्थीगण ने ऐतराज किया अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 14 बावजूद तामीली उपस्थित नहीं होने से विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज० पैरोकार ने जाहिर किये की प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्ध करे। वहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज० पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। ग्राम लोहरवाडा तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 4866 रकबा 0.08 व 6522/4868 रकबा 0.07 की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2071-74 के अनुसार आवेदनकर्तागण की खातेदारी है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी का सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण उनके मध्य खेत की सीमा का विवाद है एवं अप्रार्थीगण उनकी सीमा पर विवाद करने पर आमादा है।



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

//2//

पत्थरगढी करने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतों की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विवाद समाप्त होगा। अप्रार्थीगण प्रकरण के खण्डन हेतु उपस्थित नहीं हुये हैं। उनके द्वारा आराजी मुतनाजा के पत्थरगढी के समय अपनी आपत्ति पेश की जा सकती है। पत्थरगढी से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव भी नहीं पड़ेगा।

अतः ग्राम लोहरवाडा तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 4866 रकबा 0.08 व 6522/4868 रकबा 0.07 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता व अप्रार्थीगण की विधिवत उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

